कार्यालय अनुज्ञप्ति विभाग, नगर निगम वाराणसी

पत्रांक– 13 /अनु0/2025–26, दिनांक–21-5-25

सार्वजनिक सूचना

विषय–नगर निगम वाराणसी सीमान्तर्गत अनुज्ञप्ति विभाग द्वारा जारी समस्त नाव का आवण्टन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सूचित करना है कि नगर निगम सीमान्तर्गत, अनुज्ञप्ति विभाग द्वारा जारी लाइसेन्स संख्या 01 से 1217 तक नगर निगम वाराणसी द्वारा जारी किया गया था। जिसका नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2023–24 तथा 158 नावों का नवीनीकरण वर्ष 2024–25 तक किया गया था। नगर निगम अनुज्ञप्ति उपविधि के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो नवीनीकरण किये जाते हैं, वह मात्र उसी वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होते हैं।

नगर निगम द्वारा पूर्व में जारी लाइसेन्स की अवधि 31.03.2025 को समाप्त हो गई है। उन्हें दिनांक 31.03.2025 के पश्चात् पूर्व में जारी लाइसेन्स का कोई नवीनीकरण नहीं किया गया है, अर्थात् 31.03.2025 के पश्चात् जारी लाइसेन्स स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, 2023 के गजट दिनांक 08.12.2023 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नावों के पंजीकरण आदि का अधिकार जलमार्ग प्राधिकरण में निहित है। उक्त गजट के प्राविधानों के क्रम में **''नगर निगम वाराणसी के मा0 सदन द्वारा अपनी बैठक दिनांक 18.03.2025 में नगर निगम में पूर्व से लागू नावों के अनुज्ञप्ति सम्बधी उपविधि को निरस्त कर दिया गया है।''** भविष्य में दिनांक 01.04.2025 के पश्चात् अग्रिम किसी आदेश/निर्देश तक नगर निगम द्वारा नावों का कोई भी लाइसेन्स न तो जारी किया जायेगा और न ही पूर्व से जारी लाइसेन्सों का नवीनीकरण ही किया जायेगा।

अतः उक्त सूचना से समस्त नाविक समाज अवगत होने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी(अनुज्ञप्ति)
नगर निगम, वाराणसी

प्रतिलिपि–1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जल पुलिस, दशाश्वमेध वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।
3. श्री संदीप श्रीवास्तव को नगर निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. समस्त नाविक समाज, श्री काशी विश्वनाथ कारीडोर घाट वाराणसी को सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी(अनुज्ञप्ति)
नगर निगम, वाराणसी